न्यायालय रा ... अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 54/24 GCMS NO 2024/92

1. गुडडी पत्नि हेतराम मीना
2. विश्राम पुत्र मूडया मीना
3. सरोज पुत्री रंगलाल मीना
4. तुलसी पुत्र सुखराम मीना (मृतक)

4/1. कमलेश
4/2. सुरेश
4/3. शांतिलाल पुत्रान तुलसी
4/4. गेंदी देवी पत्नि तुलसी

5. बाबूलाल पुत्र सांवलिया मीना
6. उर्मिला पुत्री रंगलाल मीना समस्त जातियान मीना निवासीयान ढहरिया तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. राजेश पुत्र रामश्री
2. रामपति देवी पत्नि रामश्री
3. लोकेश पुत्र रामश्री
4. लोटन बाई पुत्री रामश्री
5. भरतलाल पुत्र किरोडी
6. रमेश पुत्र किरोडी
7. रामकेश पुत्र किरोडी
8. मूडी देवी पुत्री कोरी देवी
9. धनराम पुत्र महादेवा
10. रत्तीराम पुत्र महादेवा
11. खुशीराम पुत्र महादेवा
12. काडी पुत्री महादेवा
13. रामोतार पुत्र रामजीलाल
14. धारा सिह पुत्र रामजीलाल
15. रूमाली पुत्री रामजीलाल
16. रामस्वरूप पुत्र कजोडया
17. रामधनी पुत्री मूडया
18. गिल्लो पुत्री मूडया
19. बादाम पुत्री मूडया (मृतक)

19/1. राकेश
19/2. दिनेश
19/3. अनिता पुत्र/पुत्रियां शिवचरण जाति मीना निवासी गांवड़ी तहसील नादौती

20. रामराज पुत्र रामधन
21. शिवराम पुत्र रामधन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

22. कौशल्या पुत्री रामधन
23. प्रकाशी पुत्री रामधन
24. ऐरन्ता पुत्री रामधन
25. जयसिह पुत्र तेजराम
26. रज्जो पुत्री तेजराम
27. [illegible]ाडी पुत्री तेजराम
28. [illegible]रा पुत्री तेजराम
29. [illegible]मरो देवी पत्नि तेजराम
30. गिर्राज पुत्र प्रभू
31. खिलारी पुत्र प्रभू
32. पीतम देवी पत्नि विनोद
33. मेघराम पुत्र किशोरी
34. रामजीलाल पुत्र किशोरी (मृतक)
34/1. मनोहरी पुत्री रामजीलाल
35. मुरारी पुत्र गुलाब
36. कुलदीप पुत्र शिवचरण
37. कपिल पुत्र शिवचरण
38. महेन्द्र पुत्र रंगलाल
39. नरेन्द्र पुत्र रंगलाल
40. राजेन्द्र पुत्र श्रीफल
41. मांगी देवी पत्नि श्रीफल (मृतक)
42. मौसम पत्नि विजेन्द्र
43. कौशल पुत्र विजेन्द्र
44. सोरभ पुत्र विजेन्द्र
45. संजू पुत्री विजेन्द्र
46. रूपचंद पुत्र नारायण
47. लोटन्ता पत्नि मनोहरलाल
48. ठण्डी पुत्र श्रीलाल
49. सांवलिया पुत्र श्रीलाल
50. पुखराज पुत्र सांवलिया
51. प्यारेलाल पुत्र सांवलिया
52. हरिचरण पुत्र रतनलाल
53. शिवराम पुत्र रामकेश
54. सुरजो पत्नि रामराज जाति मीना निवासीयान ढहरिया तहसील नादौती जिला करौली
55. लैण्ड होल्डर जरिये तहसी[illegible]र न[illegible]ौती
56. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक नादौती
57. स्टेट बैंक आफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक नादौती

रेस्पो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

(अपील विरूद्ध मु0न0 63/22 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.2.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती)

अपीलार्थी अपीला0 श्री रिपीराम मीना

प्रत्यर्थी रैस्पो0 श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा

दिनांक 26.08.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.2.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 ने दावा घोषणा खातेदारी,बटवारां भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 44 की शामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खाता संख्या 185 ग्राम ढहरिया के ख0न0 776 रकबा 1.60 है0 , 778 रकबा 0.05 है0 , 789 रकबा 3.99 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.64 है0 तथा खाता संख्या 186 ग्राम ढहरिया के ख0न0 764 रकबा 1.17 है0 , 830 रकबा 9.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 10.47 है0 है। जिसका शामलाती मे ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 44 के परिवार काफी बढने से दोनो खातो की भूमि विवादित होती चली आ रही है। इसलिए दोनो खातो का वादीगण न0 1 ता 4 का खाता न0 185 मे 1/27 व 186 मे 1/27 हिस्सा आता है। जिनकी कुल भूमि दोनो खातो मे 0.60 है0 है जो अलग खाता [illegible] के अधिकारी है। जो वादीगण संख्या 1 ता 4 दर्ज रिकार्ड है। वादीगण संख्या 5 ता 7 का खाता संख्या 185 मे 1/27 व 186 मे 1/27 हिस्सा आता है जिसकी कुल भूमि दोनो खातो मे 0.60 है0 है जो अलग खाता कायम कराने का अधिकारी है। जो वादीगण संख्या 5 ता 7 नाम दर्ज है। जो खातेदार किरोडी पुत्र श्योवक्श के वारिसान है। किरोडी फौत होने से बतौर खातेदारी दर्ज कराने व बंटवारा भूमि कराने के कानूनी अधिकारी है। मृतक किरोडी के तीन पुत्र भरतलाल,रमेश,रामकेश है। वादी संख्या 8 खातेदार कोरी पत्नि पितराम की एक मात्र वारिस है। कोरी का देहान्त हो चुका है। जिसका जमाबंदी खाता संख्या 185 मे 1/9 हिस्सा व खाता संख्या 186 मे 1/9 हिस्सा आता है। जिसकी कोरी खातेदार है। जिसकी एक मात्र वारिस वादी संख्या 8 दर्ज रिकार्ड होने से खातेदारी अपने नाम घोषित कराने व बंटवारा भूमि कराने की कानूनन अधिकारी है। वादीगण संख्या 9 ता 12 के पिता महादेवा पुत्र मूल्या का देहान्त हो चुका है। महादेवा का हिस्सा खाता संख्या 185 मे 1/6 व खाता संख्या 186 मे 1/6 हिस्सा आता है। जिसकी कुल भूमि 2.68 है0 आती है। महादेवा के वारिसान धनीराम,रत्तीराम,खुशीराम, काडी वादीगण संख्या 9 ता 12 अपने पिता के हिस्से की भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने व अलग खाता कायम कराकर बंटवारा भूमि कराने का अधिकारी है। वादीगण संख्या 13 ता 15 के पिता रामजीलाल खाता संख्या 185 मे 1/27 व 186 मे 1/27 हिस्से के खातेदार है। रामलीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 13 ता 15 रागोतार,धाराहिस,रूमाली है। जिसके हिस्से मे [illegible] 0.60 है0 आती है। जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कुल भूमि 0.14 है0 बनती है। जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 25 ता 28 दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 29 ता 34 का हिस्सा भूमि हाल खाता संख्या 185 मे 1/108 व 186 मे 1/108 हिस्सा आता है। जिनकी कुल भूमि 0.14 है0 बनती है। शामलाती खातेदार श्रीफल फौत हो चुका है। जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 29 ता 34 दर्ज रिकार्ड प्रतिवादी है। प्रतिवादी संख्या 35 रूपचन्द पुत्र नारायण का हिस्सा खाता संख्या 185 व 186 मे 1/12 व 1/12 हिस्सा भूमि आती है। जो सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिनकी कुल भूमि 1.34 है0 आती है। जो बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जो प्रतिवादी संख्या 35 पर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 36 लोटन्ता पत्नि मनोहर लाल खाता संख्या 185 व 186 मे सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिनका हिस्सा 1/108 व 1/108 आता है। जिसकी कुल भूमि 0.14 है0 आती है। जो प्रतिवादी संख्या 36 पर दर्ज है।प्रतिवादी संख्या 37 व 38 के पिता श्रीलाल का देहान्त हो चुका है जिनका उक्त खाता संख्या 185 मे 1/54 व 186 मे 1/54 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिसके हिस्से की कुल भूमि 0.29 है0 बनती है। जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 37 व 38 है। जो श्रीलाल के वारिस है। प्रतिवादी संख्या 39 ता 41 सावलियां पुत्र भौरया के वारिसान है। सावलियां फ़ौत हो चुका है जो उक्त भूमि हाल खाता संख्या 185 मे 1/18 व 186 मे 1/18 हिस्से का सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिनके हिस्से मे कुल भूमि 0.89 है0 आती है। जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 39 ता 41 दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 42 हरिचरण पुत्र रतनलाल शामलाती भूमि हाल खाता संख्या 185 मे 1/108 व 186 मे 1/108 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है। जिसके हिस्से मे कुल भूमि 0.14 है0 आती है। जो प्रतिवादी संख्या 42 पर दर्ज है। खाता संख्या 186 मे प्रतिवादी संख्या 44 का हिस्सा 1/24 दर्ज रिकार्ड है। जिसके हिस्से मे कुल भूमि 0.43 है0 आती है। जो प्रतिवादी संख्या 44 पर दर्ज है। वादीगण संख्या 1 ता 16 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 44 की सहखातेदारी की शामलाती भूमि हाल खाता संख्या 185 व 186 ग्रा ढहरिया मे स्थित है। खाता काफी लम्बा होने से व कई पीढियो के मरने से खातेदारो का काफी नुकसान उठाना पड रहा है। जिसके लिए वादीगण द्वारा उक्त सभी प्रतिवादीगण से कहा कि अपने अपने वारिसान के नाम नामा0 खुलवाया जाकर अपनी सहमति से प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 मे बंटवारा करा लो परन्तु कई प्रतिवादीगण उक्त खातो का बंटवारा कराना नही चाहते है और शामलाती भूमि को उलझाकर रखना चाहते है। वादीगण की भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है। वादीगगण द्वारा प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा साफ इंकार कर दिया एवं बिना बंटवारा कराये भूमि को बेचान करने की धमकी दी गई। इसलिए उक्त शामलाती भूमि खाता संख्या 185 के ख0न0 776 रकबा 1.60 है0 , 788 रकबा 0.05 है0, 789 रकबा 3.99 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.64 है0 तथा खाता संख्या 186 के ख0न0 764 रकबा 1.17 है0 , 830 रकबा 9.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 10.47 है0 ग्राम ढहरिया मे अपने अपने हिस्से मुताबिक अलग अलग खाता कायम कराकर भूमि शामलाती मे बंटवारा अपने हिस्से कराने का अधिकारी है। भूमि हाल ख0न0 776 रकबा 1.60 है0, 788 रकबा 0.05 है0, 789 रकबा 3.99 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.64 है0 तथा भूमि हाल ख0न0 764 रकबा 1.17 है0 830 रकबा 9.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 10.47 है0 मे वादीगण के हिस्से मुताबिक कुल भूमि 8.05 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आती है। जिसमे से हाल ख0न0 830 रकबा 9.30 है0 मे से 8.05 है0 के खातेदार घोषित फरमाया जाकर बंटवारा स्कीम तहसीलदार नादौती से तलब फरमाई जाकर भूमि हाल ख0न0 830 रकबा 9.30 है0 मे से 8.05 है0 की फाईनल डिक्री फरमाई जाकर दावा वादीगण डिक्री किया जावे। बाकी शेष नम्बरो को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 44 के नाम अलग खाता कायम किये जाने की डिक्री फरमाई जावे तथा प्रतिवादीगण 1 ता 44 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि हाल ख0न0 830 रकबा 9.30 है0 मे से वादीगण के हिस्से की भूमि रकबा 8.05 है0 मे किसी प्रकार की मजाहमत मदालखत पैदा नही करे कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नही करे। वादीगण के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे। वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा अन्य सरोज पुत्री रंगलाल, तुलसी पुत्र सुखराम, बाबूलाल पुत्र सांवलियां व उर्मिला पुत्री रंगलाल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर एवं अखबार सियाहा कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने जल्दबाजी मे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बंटवारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जबकि वाद पत्र मे प्रतिवादी संख्या 22 का उक्त भूमि मे खाता संख्या 185 मे 1/72 व खाता संख्या 186 मे 1/72 हिस्सा के बतौर सहखातेदार दर्ज होना दर्शाया है जिसका 185 मे गलती से सेकीगेशन के दौरान 1/72 के स्थान पर 7/72 गलती से दर्ज रिकार्ड हो गया है। खाता संख्या 185 मे 1/72 हिस्सा दुरूस्त किया जावे। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण दुरूस्ती का भी था तथा दुरूस्ती बाबत वादीगण कोई वाद पेश नही किया ना ही दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है। तहत न्यायालय ने स्वतःही दुरूस्ती की है। जो विधि के विपरीत है। क्योकि तहत न्यायालय को सिर्फ प्रस्तुत वाद पत्र पर अपना मत पारित करना चाहिए था। जो नही किया। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दौराने बहस वाद पत्र प्रकरण की बहस सुने जाने से पूर्व रेस्पो0 मांगी पत्नि श्रीफल मीना का देहान्त दिनांक 29.12.22 को हो चुका है तथा मांगी के कोई भी कायम मुकाम वगै0 नही बनाये है। तथा प्रतिवादी संख्या 21 रामजीलाल पुत्र किशोरी की मृत्यु दिनांक 7.10.23 को ही हो गई थी जिसके भी किसी प्रकार के कोई कायम मुकाम नही बनाये गये है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित की है जो विधि विरूद्व है। यह मत माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल द्वारा अपने अनेक निर्णयो मे दिया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित डिक्री शून्य है इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय ने वाद पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त जो तामिल कराई है वह आर्डर 5 सीपीसी के नियमो के विपरीत है तथा दिनांक 13.10.23 को गलत रूप से नोटिसो की तामिल होना बताया है। जबकि नोटिसो के प्रथम दृष्टया अवलोकन से कोई नोटिस तो भाई को दिया गया है कोई नोटिस माताजी को दिया गया है किसी की निशानी की गई है जिस पर गवाहो के कोई हस्ताक्षर नही है किसी नोटिस पर बडे पापा के द्वारा तामिल होना माना है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही तामिल के प्रावधानो के विपरीत है। तथा एक पक्षीय आदेश गलत रूप से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिकी अपीलांट को बिना सुने ही पारित की गई है इस कारण अपीलांधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार नादौती द्वारा दिनांक 3.11.23 को फाईनल ।डिकी पेश की गई थी उसे तहत न्यायालय ने उसी को सही मानकर डिकी पारित की गई है। जो विधि विरूद्व है। तहसीलदार नादौती द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम तहसील कार्यालय मे बैठकर तैयार की गई है मौके पर किसी प्रकार की कोई जॉच नही की गई है तथा रेस्पो0 वादीगण की उपस्थिति दर्शाकर उनके हस्ताक्षर कर यह रिपोर्ट तैयार की है जबकि किसी प्रकार का कोई नोटिस बनाये जाने बंटवारा स्कीम बाबत तहसीलदार ने नही भेजे है। ना ही उनकी उपस्थिति मे बंटवारा स्कीम तैयार की गई है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा कई नजीरो मे स्पष्ट मत पारित किया है कि बंटवारा स्कीम तैयार करने से पूर्व उभयपक्षो को नोटिस दिया जाकर मौके पर तहसीलदा को बंटवारा स्कीम तैयार करनी चाहिए। इस प्रकार बंटवारा स्कीम अपूर्ण व विधि विरूद्ध है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिकी जारी की गई है कि किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलांटस को नही थी हल्का पटवारी से अपीलांटस दिनांक 29.5.24 को अपने खाते की नकल प्राप्त करने हेतु मिला तो उन्होने बंटवारे के बारे मे बताया। जब अपीलाधीन निर्णय व डिकी की जानकारी हुई। इस प्रकार नकल प्राप्त की जानकारी से अपीलं अन्दर मियाद पेश है। वैसे भी अपीलाधीन आदेश व डिकी प्रारंभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी मे आता है तथा शून्य आदेश से किसी भी प्रकार के हक व अधिकार नही मिलते है। इस प्रकार के आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी जाकर निरस्त कराया जा सकता है। अतः अपींलाट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट को जबाब दावा प्रस्तुत करने का विधि अनुसार नोटिस जारी किया गया था। जिस पर प्रतिवादी मनोहरलाल, रामधनी की और से श्री मिथलेश कुमार सिह अधिवक्ता वकालतन उपस्थित हुए है। तथा उनके द्वारा [illegible] के एक पक्षीय प्राथमिक डिकी के विरूद्व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा [illegible] का [illegible] किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस प्रकार उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

को तत्समय ही थी एवं उनके द्वारा जानबूझकर जबाब दावा पेश नही किया गया। अपीलांट का यह कथन भी मिथ्या है कि अपीलांट की तामिल विधि सम्मत नही हुई है। जबकि अपीलांट की तामिल अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी की धारा 5 के तहत सही रूप से कराई गई है एवं उस तामिल को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया है। अपीलांट का बंटवारा स्कीम के संबंध मे कथन रहा कि बंटवारा स्कीम अपीलांटगण/प्रतिवादीगण की उपरिथति मे तैयार नही की गई है [illegible] सत्यता यह है कि बंटवारा स्कीम तैयार दिनांक के बाबत नोटिस कमांक एलआर/2023/ दिनांक [illegible]3.10.23 को जारी कर तलब किया गया था। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि पटवारी हल्का द्वारा बंटवारा स्कीम तैयार करने के सबंध मे किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलांटस को नही दिया गया। बंटवारा स्कीम पटवारी हल्का एवं भू0अ0निरीक्षक की मौजूदगी मे मौके पर जाकर तैयार की गई है। जो विधि के प्रावधानो के तहत ही तैयार की गई है। अपीलांट का एक अन्य कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे दावा विचाराधीन रहते मांगी पत्नि श्रीमल का निधन हो जाने के उपरान्त भी उनके कायम मुकाम की कार्यवाही नही की गई है। इस सबंध मे स्पष्ट है कि यदि दौराने दावा किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जानकारी न्यायालय को तत्समय ही उपलब्ध कराने का दायित्व उनका भी होता है। इस प्रकार दौराने दावा मांगी के फौत होने की जानकारी वादीगण, रेसपो0 को नही हो सकी इस कारण उनके कायम मुकाम की कार्यवाही नही की जा सकी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत मृतक मांगी का हिस्सा भी विवादित आराजीयात मे बंटवारे अनुसार दर्ज किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत बंटवारा किया जाकर ही अपीलाधीन आदेश जारी किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि दौराने दावा प्रतिवादी मांगी पत्नि श्रीफल का निधन हो जाने के उपरान्त भीं मांगी के कायम मुकामान की कार्यवाही नही की गई है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। इससे अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि होती है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि बंटवारा स्कीम अपीलांट की उपरिथति मे तैयार नही की गई है ना ही मौका रिपोर्ट तैयार करने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया। पत्रावली मे उपलब्ध बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बंटवारा स्कीम तैयार करने के सबंध मे अपीलांटगण को पटवारी हल्का ने नोटिस तो जारी किये है परन्तु बंटवारा स्कीम तैयार करते समय अपीलांटगण [illegible] पर उपस्थित नही हुए है। जबकि बंटवारा स्कीम के सबंध मे माननीय राजस्व मंडल [illegible] का स्पष्ट मत है कि बंटवारे के संबंध मे सहखातेदारो की उपरिथति मे बंटवारा [illegible] के विरूद्व या पक्ष मे निर्णय पारित किया जाना विधि के [illegible] चाहिए। किसी मृत पक्षकार [illegible] माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अनेक निर्णयो मे यह सिद्वान्त [illegible]नो के विपरीत है। इस संबंध मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिपादित किया है कि किसी मृत व्यक्ति के विरूद्व या पक्ष मे पारित निर्णय व डिक्री प्रारंभ से ही शून्य निर्णय व डिक्री की श्रेणी मे आते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण मे मृत व्यक्तियो के विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष की मौजूदगी मे बंटवारा स्कीम तैयार करवाई जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना विधि सम्मत है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती के प्रकरण संख्या 63/22 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.2.24 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृत व्यक्तियो के विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही करते हुए विवादित आराजीयात की बंटवारा स्कीम उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार कराई जाकर ,उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 15.9.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner